न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार बनाम मै.धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड

मुकदमा नम्बर 29/2025/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

26.02.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब आवेदन पूर्व में पेश किया जा चुका है। बहस हेतु अधिवक्ता अप्रार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अतः दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी बार–बार अनुपस्थित रहने से प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन में अंकित किया गया है कि "That the answering Respondents specifically deny each and every averments made by the complainant/F.S.O. in the complaint/application filed before this Hon'ble Court. It is submitted that the present complaintmade by the Food Safety Officer is bad in the eyes of Law as the same is in violation of the statutory and mandatory provisions of the FSSA. Therefore, the present complaint is not maintainable and liable to be dismissed in limine with cost on the following grounds. That in accordance to Section 46 (3) of the Food Safety and Standards Act, 2006 read with Rule 2.4.2 (5) the Food Analyst is under obligation and is required to analyze the sample, sign and send its report within a period of 14 days from the date of receipt of the sample and in case the sample could not be analyzed within the stipulated 14 days then as per the proviso to Rule 2.4.2 (6) of the Food Safety and Standards Rules, 2011 the food analyst has to inform the Designated Officer and the Commissioner Food Safety giving reasons and specifying the time to be taken for analysis, but, it seems that the Ld. Food Analyst has completely failed to appreciate and adhere to the above mentioned provision of law.Interestingly, in the instant case the sample was drawn by the Food Safety Officer on 30.08.2024 and the same was received for analysis by Food Analyst on 05.09.2024 meaning thereby that the Food Analyst received the sample for analysis 6 days after alleged date of sampling which is 30.08.2024. Further, as per the content of the Food Analyst	

22/

report, the alleged sample was analyzed from 05.09.2024 to 26.09.2024 and the report of the same signed by the Food Analyst on 27.09.2024. However, with the given facts Food Analyst took 22 days to analyze the sample which is way beyond the stipulated time period." पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2024 को निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे पनीर का नमूना लिया गया। उक्त नमूना राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद को जांच हेतु भिजवाया गया। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट नम्बर PNR–241/Sep/24–UP/2291 के मुताबिक उक्त नमूना Misbranded Food का पाया गया। इस प्रकार जांच रिपोर्ट में नमूना अमानक स्तर का पाये जाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने एवं नमूना जांच हेतु अलग–अलग भागों में विभाजित करने सम्बंधी सम्पूर्ण उल्लेख फार्म–VA व फर्द रिपोर्ट में उल्लेखित किया हुआ है जिस पर अप्रत्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त नमूना अमानक स्तर का नहीं होने के सम्बंध में जवाब आवेदन के सलंग्न किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना अमानक स्तर का पाये जाने से अप्रार्थीगण को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थो का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत **अप्रार्थीगण के 15,000/– रूपये** का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

06/03/26

न्याय निर्णायक अधिकारी
एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट)
सीकर (राज.)